इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 358] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 8 अगस्त 2013—श्रावण 17, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2013

क्र. एफ. 4-1-2012-एक-10.—मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 17 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश के परामर्श से, मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त (जिला सतर्कता समितियां) नियम, 1995 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में नियम 4 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए अर्थात्:—

(1) ''समिति के अध्यक्ष (चेयरपर्सन) तथा सदस्यों को सम्मिलन के लिए क्रमशः रुपये 800/- तथा रुपये 600/- प्रतिदिन की दर से मानदेय का भुगतान किया जाएगा किन्तु किसी माह में देय मानदेय की अधिकतम रकम उस माह के सम्मिलनों की संख्या पर विचार किये बिना अध्यक्ष (चेयरपर्सन) के मामले में रुपये 8000/- और सदस्य के मामले में रुपये 6000/- से अधिक नहीं होगी.''.

2. यह संशोधन ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

No. F. 4-1-2012-I-10.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 17 of the Madhya Pradesh Lokayukt-Evem Up-Lokayukt Adhiniyam, 1981 (No. 37 of 1981), the State Government in consultation with the Lokayukt, Madhya Pradesh hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Lokayukt-Evem Up-Lokayukt (Distirct Vigilance Committees) Rules, 1995, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, for sub-rule (1) of rule 4, the following sub-rule shall be substituted, namely:—

(1) "The Chairperson and the members of Committee shall be paid an honorarium @ Rs. 800 and Rs. 600 respectively per day for the meeting but the maximum amount of honorarium payable in any month shall not exceed in case of chairperson Rs. 8000 and in case of a members Rs. 6000 irrespective of the number of meetings in that month.".

2. This amendment shall come into force with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश कौल, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.